<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103007052014</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-738/14</u> संस्थापित दिनांक-16.12.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जि		ज्नगर।				
				3	अभिर	योजन
विरुद्ध						
01—हरनाम सिंह पुत्र निवासी ग्राम पचलाना,	खेतसिंह बुढावली।	जाति	लोधी	उम्र	30	साल
					आ	रोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :– श्री परमार अधिवक्ता।						

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 07.03.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294, 323, 506बी, 324 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294, 323, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी घासीराम ने दिनांक 08.09.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने घर के पास खडा था उसी समय हरनाम सिंह खेत की तरफ से आया जिससे उसकी जमीन संबंधी पुरानी रंजिश चल रही थी। वह उससे बोला कि मादरचोद रास्ते में क्यों खडा है तो उसने कहा कि गाली मत दे। फिर हरनाम सिंह ने उसकी लाठी से मारपीट से जिससे उसे चोट आकर खून निकलने लगा। वह चिल्लाया तो देशराज सिंह, दयाराम लोधी आ गऐ जिन्होंने उसे बचाया व घटना देखी। उसी समय हरनाम सिंह उससे बोला कि मादरचोद आज तो बच गया, आइंदा इधर रास्ते में मिला तो जान से खत्म कर देंगे। फिर हरनाम सिंह चला गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 385/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 294, 323, 506 बी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324, 323, 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 07.09.14 को समय रात्रि 08.30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ग्राम पचलाना में स्थित फरियादी के घर के पास स्थित भागीरथ के खेत के पास लोकस्थल पर परिवादी/आहत ६ ॥सीराम को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 घासीराम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 घासीराम ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था तथा कहासुनी में गिरने से उसे चोट आ गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। अ.सा. 01 ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 02 देने से इंकार किया है। प्रकरण में उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)